पत्रांक – वि.प्रा.(II) व^2 – 21/2011–

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं0 हक), बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

/पटना, दिनांक–

विषय – पटना में डा॰ ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम साईंस सिटी की स्थापना की स्वीकृति, साईंस सिटी के लिए भवनों के निर्माण, प्रदर्श एवं स्थापना पर व्यय हेतु स्वीकृत राशि कुल रू॰ 397.00 करोड़ (तीन सौ संतानवे करोड़ रूपये) मात्र के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय हेतु रू॰ 40.00 करोड़ (चालीस करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1333, दिनांक 07.06.2017 के द्वारा पटना में डा॰ ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम साईंस सिटी की स्थापना की स्वीकृति, साईंस सिटी के लिए भवनों के निर्माण, प्रदर्श एवं स्थापना पर व्यय हेतु कुल रू॰ 397.00 करोड़ (तीन सौ संतानवे करोड़ रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू॰ 94.00 करोड़ (चौरानवे करोड़ रूपये) मात्र बिहार काउन्सिल ऑन साईस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. राज्य सरकार ने उक्त स्वीकृत राशि कुल रू॰ 397.00 करोड़ (तीन सौ संतानवे करोड़ रूपये) मात्र के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय हेतु रू॰ 40.00 करोड़ (चालीस करोड़ रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की है।

3. उक्त स्वीकृत राशि का वहन, वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य स्कीम बजट के मुख्यशीर्ष–4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–80–सामान्य, लघुशीर्ष–051–निर्माण, मांग संख्या–03, उपशीर्ष–0123–डा॰ ए॰पी॰जे॰ अब्दुल कलाम साईंस सिटी (विपत्र कोड 03–4059800510123) के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में द्वितीय अनुपूरक से उपबंधित राशि से की जायेगी।

4. स्वीकृत राशि का आवंटन, प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संबंधित संरचना प्रमण्डल संख्या–2, पटना को प्रदान किया जायेगा।

5. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विनिर्दिष्ट/प्राधिकृत कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमण्डल संख्या–2, पटना होगें।

6. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी।

7. स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758/वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –

(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक – वि०प्रा०(II) $व^2$ – 21/2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(II) $व^2$ – 21/2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(II) $व^2$ – 21/2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव/अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव/मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(II) $व^2$ – 21/2011– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमण्डल संख्या–2, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि०प्रा०(II) $व^2$ – 21/2011– 3366 /पटना, दिनांक– 13-12-018

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/आई०टी० मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.12.18
सरकार के उप सचिव

13/12/18

Scanned by CamScanner